न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—173/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/173)

1. कल्याण पुत्र श्री हरजी जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री हरजी गुर्जर
2. रामदेव पुत्र श्री हरजी गुर्जर
   समस्त जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।
3. अनुरागपुरी गौस्वामी पुत्र रमेशपुरी गौस्वामी
4. विवेकपुरी गौस्वामी पुत्र श्री रमेशपुरी गौस्वामी
   समस्त जाति गौस्वामी निवासी हथाई मौहल्ला ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर।
6. उप—पंजीयक, भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.03.2025 राजस्व वाद संख्या 99/2022.

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 99/2022 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.03.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88 व 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 19.03.2025 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 99/2022 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.03.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष रेस्पोडेंट सगे भाईयों द्वारा वादपत्र बंटवारा बाबत पेश किया है वह पूर्णतया वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया क्योंकि रेस्पोडेंट वादपत्र में बंटवारे की डिक्री अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी के आधार पर चाहते थे जबकि वास्तविकता यह भी कि भाईयों के मध्य पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो चुका था और उक्त बंटवारे में सभी भाई अपने 2 हिस्से में आबाद थे और अपीलांट ने अथक प्रयास करके अपनी आराजी को सुधार किया था और उपजाऊ बनाया था जिसे देखकर रेस्पो० स० 1 व 2 के मन में लालच पैदा हो गया था जिसके चलते वादपत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया और उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने बिना अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाकर बाले–2 ही वादपत्र को अन्तिम डिक्री के क्रम में निर्णित कर दिया इस कारण पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री पूर्णतः न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष कभी भी अपीलांट उपस्थित ही नहीं हुआ और बिना अपीलांट की उपस्थिति मे समस्त कार्यवाही की गयी ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण के विचारण को सरसरी तौर पर ही आनन फानन मे तय किया है जो प्रक्रियात्मक व स्पष्ट कानूनी त्रुटि है और ऐसी त्रुटि के तहत पारित किये गये निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट जो कि एक गरीब एंव अशिक्षित वर्ग का काश्तकार है उसने गांव के ही एक व्यक्ति जिसे रेस्पो० सं० 3 बनाया गया है अनुरागपुरी पर विश्वास करते हुए खाली कागजों पर अंगूठा निशानी लगा दी और इस विश्वास को षडयंत्रपूर्वक काम में लेते हुए रेस्पो० स० 3 ने संपूर्ण दावे को ही वादीगण से सांठ गांठ कर अपीलांट के अंगूठा निशानी करवाकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करवा दिया और बाद में एक मुख्त्यारआम बनवाकर स्वयं को मुख्त्यारग्रहिता हैसियत से खुद के सगे भाई जिसे अपील में रेस्पो० सं० 4 प्रतिस्थापित किया है। विवेकपुरी गौस्वामी को अपीलांट की आराजी में से कुछ आराजी का बैचान दिनांक 24.3.2025 को बैचान कर दिया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट के विरूद्ध सभी पक्षकारान द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए अपीलांट की बहुमूल्य उपजाऊ आराजी को खुर्द बुर्द कर बैचान कर दिया है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना नितान्त आवश्यक व न्यायोचित है। रेस्पो० सं० 3 ने अपीलांट को कुछ समय पूर्व यह कथन किये कि तुमने जिन कागजों पर दावे के बाबत हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये थे उसमें कानूनी कमियां रह गयी है इसलिये तुम्हे एक बार मेरे साथ तहसील कार्यालय चलना होगा अन्यथा वादपत्र तुम्हारे विरूद्ध तय हो जायेगा जब यह कथन अपीलांट ने सुने तो रेस्पो० सं० 3 पर विश्वास करते हुए अपीलांट तहसील कार्यालय भिनाय उसके साथ चला गया और रेस्पो० सं० 3 के द्वारा बताये गये कागजात पर अंगूठा निशानी लगा दिया उसे यह बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वह जहां अंगूठा लगा रहा है वह कागजात कुर्रेजात रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव के है और यह सभी कार्यवाही उसके विरूद्ध की जा रही है ना तो इन कागजों को तहसीलदार ने पढकर अपीलांट को बतया और न ही रेस्पो० सं० 3 ने षडयंत्र की कोई जानकारी अपीलांट को होने दी और सभी कार्य षडयंत्र रचते हुए अपीलांट के विरूद्ध कारित किये है और ऐसे षडयंत्र पूर्वक किये गये कार्यों के आधार पर निर्णय व अन्तिम डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गयी है वह प्रारम्भ से ही अपीलांट के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.3.2025 इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। यहां कहना आवश्यक होगा कि अपीलांट ने रेस्पो० सं० 3 व 4 के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र रचने के कारण अलग से आपराधिक प्रकरण दर्ज भी करवाया है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट के विरूद्ध पारित विचारण न्यायालय का

आदेश निरस्त किये जाने योग्य है अन्यथा अपीलांट के हक व अधिकारों पर कुठाराघात होगा ऐसी स्थिति में भी पारित निर्णय इस अपील के माध्यम से निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 99/2022 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.03.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन किए जाने के पश्चात तहसीलदार द्वारा तैयार मौका कुर्रेजात के आधार पर ही प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेंट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए वादीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 10.01.2023 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 19.03.2025 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध चौसाला जमाबंदी संवत 2074–2077 पटवार हल्का देवलियांकला तहसील भिनाय, जिला अजमेर के खाता संख्या 27 कुल किता 12 कुल रकबा 4.3900 है0 के अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/3–1/3 दर्ज राजस्व हिस्से अनुसार खातेदार/काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा उक्त आराजीयात के बंटवारे बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जाकर वादीगण/रेस्पोडेंट के द्वारा कथित कथनों का समर्थन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किए तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ व उनकी अनुपस्थिति में समस्त कार्यवाही की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.05.2024 को मौका कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में तैयार किया गया। मौका विभाजन की रिपोर्ट पर अपीलांट व अन्य तीन मौतबिरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। तहसीलदार द्वारा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव में प्रत्येक पक्षकार के हक हिस्से को नजरी नक्शे में अलग रंग से दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बोउण्ड्स के आधार पर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर

अपीलांट/प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा नो ऑब्जेक्शन/अनापत्ति जाहिर की गई है।

अपीलांट द्वारा अपनी आराजीयात खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 428 रकबा 1.08है0 किस्म बारानी–1 का बैचान रेस्पोडेंट संख्या 4 को जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 20.03.2025 को किया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में इस बाबत भी कथन किए गए हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा षडयंत्र पूर्वक उक्त आराजीयात को क्रय किया गया है, परंतु उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के पश्चात प्रकरण में दिनांक 19.03.2025 को निर्णय व अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है। अपीलांट अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित कर पाने में तथा यह बताने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री में किस प्रकार से त्रुटि कारित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री में कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 99/2022 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.03.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर